वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा....DRDA

.दिनांक–09.08.2014 को श्री रामेश्वर सिंह, प्रधान सचिव, वित की अध्यक्षता में बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक के पूर्व सभी जिलों के वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग) एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधकों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में सहायक महाप्रबंधक, संयोजक बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया एवं बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए प्रधान सचिव, वित्त को आमंत्रित किया ।

उपस्थिति–सूची संलग्न ।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई :–

1. प्रत्येक परिवार में दो बैंक खाता खोलने हेतु कार्य योजना–

सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन योजना हेतु संयोजक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रधान सचिव, वित्त के अनुमति के बाद वित्तीय समावेशन पर एक Power Point Presentation किया एवं सभी वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग) एवं जिला अग्रणी प्रबन्धकों को इसकी विस्तृत जानकारी दी ! प्रत्येक परिवार में 14 अगस्त 2015 तक कम से कम दो बैंक खाता खोलने के लक्ष्य को ससमय पूरा करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. सभी बैंक शाखाओं द्वारा सर्वप्रथम बैंक खाता विहीन परिवारों की पहचान कर एक सूची तैयार किया जाय । इसके लिए वे ग्रामवार अद्यतन खुले खातों (Dormant खाता सहित) की सूची बनाऐं । वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग½ द्वारा जिला अग्रणी प्रबन्धक के माध्यम से ग्रामवार मतदाता सूची या ˆवबपव. म्बवदवउपब ब्ंजम ब्मदेने या छंजपवदंस च्वचनसंजपवद त्महपेजमत (जो भी उपलब्ध हो) बैंक शाखाओं को भिजवा देंगे । इन पारिवारिक सूची से सूची तैयार कर ली जायेगी । इस सूची को तैयार करने में पूर्व से सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा– मनरेगा, पोषाक/साईकिल, वृद्धा पेंशन, स्वयं सहायता समूह आदि के तहत खुले बैंक खातों की लिस्ट की भी सहायता ली जा सकती है । यह भी निर्णय लिया गया कि यह कार्य माह अगस्त 2014 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाय ।

पपप बैंक शाखा प्रबन्धकों द्वारा प्रत्येक गॉव में एक निश्चित स्थान (स्कूल या कम्युनिटी हॉल या पंचायत भवन) चिन्हित कर बैंक खाता खोलने हेतु सघन कैम्प का कार्यक्रम (ब्समदकमत) तैयार किया जाएगा। बैंक खाता विहीन परिवारों की संख्या को ध्यान में रखकर एक गॉव के लिए एक, दो या तीन दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा । बैंक प्रबन्धन उन दिवसों के लिए, आवश्यक होने पर, बैंक का सामान्य कार्यकलाप बंद रखने की अनुमति देगा और यह सूचना शाखा के बाहर अंकित कर दी जाएगी ताकि आमजनों को पूर्व सूचना हो पाए । इन कैम्पों में जनप्रतिनिधि यथा वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच के अलावा विशेष तौर पर ऑगनबाड़ी सेविकायें, पी0आर0एस0, प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मी आदि उपलब्ध रहेंगे ताकि खाता खोलने हेतु वांछित आवश्यकताऍं तत्काल पूरी की जा सके ।

कैम्पों में कम–से–कम एक खाता अवश्य खोला जाय और इसमें महिला को प्राथमिकता दी जाय । यदि परिवार में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी व्यक्ति हो उसके नाम से अलग खाता खोलने की व्यवस्था की जाय । इस सम्पूर्ण कार्य के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर अविलम्ब विशेष जिला परामर्शदात्री समिति एवं प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया ताकि सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन योजना में सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जा सके ।

2. 5000 से अधिक आबादी वाले गॉव (पंचायत एवं प्रखंड के नाम के साथ) की सूची जहॉ बैंक नहीं है–

प्रत्येक जिला से इसकी रिपोर्ट प्राप्त की गई परन्तु कुछ जिला द्वारा बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसकी स्थिति एनेक्सर–प पर उपलब्ध है । बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा 2013–14 के प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि पॉच हजार से उपर आबादी वाले सभी गॉव में बैंक की नियमित शाखा खोल दी गई है, परन्तु प्रधान सचिव, वित्त द्वारा बताया गया कि विधान सभा के प्रश्नों के प्रतिवेदन हेतु जिलों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में कई गॉव ऐसे पाये जा रहे हैं जहॉ गॉव की आबादी पॉच हजार से अधिक है फिर भी वहॉ न तो नियमित बैंक शाखा है और न बी0सी0 ही कार्यरत है । अतः सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि समबद्ध